

न्यायालय उप जिलाधिकारी नैनीताल / विशेष विवाह अधिकारी, नैनीताल, उत्तराखण्ड

प्रार्थना पत्र / वाद संख्या—

धारा— विशेष विवाह अधिनियम—1954

पक्षकार का नाम— अब्दुल रुहेब

एवं

शिवानी आर्या


कार्यालय ज्ञाप

अब्दुल रुहेब पुत्र अब्दुल जमील नि. नैनीताल तल्लीताल फोरेस्ट कम्पाउण्ड तहसील नैनीताल, थाना तल्लीताल, जिला नैनीताल।

एवं

शिवानी आर्या पुत्री स्व. भवुन आर्या निवासी लधोली कोटा पोस्ट आ. सुआखान अल्मोडा।

अतः एतद् द्वारा सर्वे साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस विवाह पंजीकरण में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 25.7.2019 तक इस न्यायालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।


  
उपजिलाधिकारी नैनीताल / विशेष  
विवाह अधिकारी, नैनीताल।

पत्र संख्या:— 09/1132/रीडर/19-विवाह/2019

प्रतिलिपि:—

दिनांक 25.6.2019

1. पुलिस उपाधीक्षक, अभिसचना, नैनीताल / अल्मोडा को इस आशय से प्रेषित कि आप कृपया पक्षगण निवास स्थान / अविवाहित / विदुर / विधवा / तलाकशुदा / बालिग के सम्बन्ध में सत्यापन तथा यदि पक्षकार अलग-अलग धर्म के हैं, तो विवाह पंजीकरण पर कोई साम्प्रदायिक घटना / शान्ति भंग होने की सम्भावना तो नहीं है, पर जांच कर सुस्पष्ट आख्या नियत दिनांक से पूर्व इस न्यायालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. उपजिलाधिकारी / विशेष विवाह अधिकारी अल्मोडा को नोटिस बोर्ड चस्पा हेतु।
3. तहसीलदार नैनीताल / अल्मोडा को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित पक्षकार के अभिभावकों को सूचित कराकर सूचना नियत दिनांक से पूर्व इस न्यायालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. थाना प्रभारी तल्लीताल नैनीताल / अल्मोडा को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित पक्षकार के अभिभावकों को सूचित कराकर सूचना नियत दिनांक से पूर्व इस न्यायालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, नैनीताल / अल्मोडा को आवेदन की एक प्रति सहित इस आशय से प्रेषित है कि आवेदन एवं कार्यालय ज्ञाप को जपनद की वैबसाईट पर दिनांक 22.7.2019 तक अपलोड रखने का कष्ट करें।
- 6 इस कार्यालय / न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

  
उपजिलाधिकारी नैनीताल / विशेष विवाह  
अधिकारी, नैनीताल।